

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा रांगम विलासपुर छत्तीसगढ़

email: bnp.jl18@gmail.com फोन : 0772 490001

0/L

क्र./प्रशास/मान्य-नवीनी/ HIG T / 2021 / 173

विलासपुर, दिनांक 26/10/2021

प्रति

प्राचार्य

दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल,

बड़ेरामपुर जिला रांगम (छ.ग.)।

विषय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।


संदर्भ आपका पत्र दिनांक 06/09/2021

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी रांगम के पत्र क्र/7573/मान्यता/2019-20 रांगम दिनांक 20.12.2019 में उल्लेखित शर्तों के अधीन एच नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, चांदमारी, जिला-रांगम के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, बड़ेरामपुर, जिला-रांगम (छ.ग.) (यू ड्राईस-22041514914) को कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 वी तक रात्र 2021-22 से 2023-24 कुल तीन वर्षों के लिये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ-02-39/2019/20 - दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है -


मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वी तक नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है -
 - विद्यालय का मठन - प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
 - खेल का मैदान।
 - प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक - पृथक कक्ष।
 - स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक - पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - द्विव्याग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।

or


PRINCIPAL
Delhi World Public School
Circuit House Road
Bade Rampur, P. S. (C.G.)
Pin - 490001


- प्रत्येक विद्यापी को बैठने के लिये फनीयर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं परिशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा जलिन समान ग।
- बाजारहित पहुच मार्ग आदि।
- क्रीडा खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक पृथक उपलब्धता।
- 6 विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980 (1980 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रपुत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
- 7 विद्यालयों के लेखाओ की किसी बार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
- 8 आपके विद्यालय को यू आईस-22041514914 को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
- 9 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छग शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय / संयुक्त संचालक शिक्षा सभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता सभापी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
- 10 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
- 11 विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/ विख शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
- 12 छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13 कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।



 संयुक्त संचालक
 शिक्षा सभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ

पृ क/अशास/मान्य नवीनी./RIG-T/2021/173A
 प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक 26/10/2021.

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ (छ.ग.) को सूचनार्थ।


 PRINCIPAL
 Delhi World Public School
 Circuit House Road
 Bade Rampur, Raigarh (C.G.)
 Pin - 496001


 संयुक्त संचालक
 शिक्षा सभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ